भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3984

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय जल परियोजना के कारण विस्थापन

3984. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल परियोजना द्वारा विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आज की तिथि तक इस श्रेणी के अंतर्गत कोई रोजगार स्वीकृत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन का कार्य भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास तथा कुशल प्रबंधन प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम - 2014 की धारा 90 के अंतर्गत, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से जल संसा , नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण

(पोलावरम परियोजना प्राधिकरण [पीपीए]) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जमीन अधिग्रहण तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

इस संबंध में, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक आंध्र प्रदेश सरकार "पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2005" के अनुसार 3922 परियोजना विस्थापित परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। उक्त नीति में, परियोजना विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नही था। इसके अतिरिक्त, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में समुचित प्रतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियमित करने के बाद उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खण्ड-4 में निम्न उपबंध किए गए हैं।

"4. एन्यूटी तथा रोजगार का विकल्प: उपयुक्त सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्न विकल्प प्रदान किया जाए:

क) जहां परियोजना से रोजगार सृजित होता है, अपेक्षित क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण तथा दक्षता प्रदान करने के बाद रोजगार के लिए उस समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में रखी गई न्यूनतम दिहाड़ी के बराबर दर पर परियोजना से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान अथवा ऐसी अन्य परियोजना में, जैसा कि अपेक्षित हो, रोजगार प्रदान करने का प्रावधान करना; (अथवा)

ख) प्रति प्रभावित परिवार को एक बारगी 5 लाख रूपए का भुगतान; (अथवा)

ग) ऐसी एन्यूटी नीं , जिसमें खेती मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयुक्त सूचकांक के साथ प्रति परिवार को बीस वर्षों के लिए प्रतिमाह दो हजार रूपए से कम भुगतान नही हो।"

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शेष परियोजना प्रभावित परिवारों में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध कराने की परिकल्पना है।

******